संख्याः410 /XXXVIII/16-(यू-कॉस्ट) 21/2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्,
नियर बालाजी मंदिर, झाझरा, देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः **देहरादूनः दिनांकः20 सितम्बर, 2016**

विषयः– उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता मद के आयोजनागत पक्ष में चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–11734/वि0प्रौ0प0/सचि0/24/2016–17 दिनांक 08.09.2016 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/201 दिनांक 26.07.2016 के निदेश एवं पूर्व निर्गत शासन के स्वीकृत आदेश संख्या 217/XXXVIII/16–(यू कास्ट) 21/2011 दिनांक 09 जून, 2016 के कम में अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 004 अनुसंधान तथा विकास–07–उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता–00–आयोजनागत के मानक मद, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु अवशेष धनराशि रू0 66.70 लाख (Rs Sixty Six Lac Seventy Thousand Only) निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0सं0	मद का नाम	धनराशि (लाख में)
1	शोध अनुसंधान एवं विकास	30.00
2	विज्ञान लोकव्यापीकरण	8.00
3	उद्यमिता विकास/अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु कार्यक्रम	4.00
4	हिमालयन सिस्टम साइंस	3.00
5	बौद्धिक सम्पदा अधिकार केन्द्र की स्थापना	2.00
6	तकनीकी संसाधन केन्द्र की स्थापना	1.00
7	तकनीकी का हस्तान्तरण	3.00
8	निदेशन एवं प्रशासन	15.70
9	**योगः–**	**66.70**

1. उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/201 दिनांक 26.07.2016 में निहित प्रावधानों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यय किये जाने से पूर्व वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की व्यय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं संशोधित अधिप्राप्ति नियमावली में निहित प्रावधानों, व्यवस्थाओं एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. संस्था द्वारा यदि किसी योजना/योजनाओं में धनराशि पी0एल0ए0 खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाय, तदोपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाय। संस्था को अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि उक्त मदों में ही नियमानुसार व्यय की जाय। किसी मद में धनराशि परिवर्तन का अधिकार संस्था को नही होगा, यदि किसी मद में धनराशि परिवर्तित/स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता हो, तो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी/शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जाय।
3. सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही

कमशः–2

किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय तथा न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाय। यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उक्त कृत्य को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

4. उक्त व्यय किये जाने से पूर्व जिन कार्यो/मदों/योजना में धनराशि नियमानुसार व्यय की जानी हो उन कार्यो/मदों/योजना में कार्य की अवधि, नियोजित कार्मिक, कार्य की अनुमानित लागत, औचित्य, कुल एवं चालू वित्तीय वर्ष में कार्य के कुल लक्ष्य इत्यादि के निर्धारण उपरान्त इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से कार्य/योजना के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त किये जाने उपरान्त ही कार्य/योजना में व्यय सुनिश्चित किया जाय।
5. वचनबद्व मदों तथा वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि मे व्यय स्वीकृत ढ़ांचे के अनुसार नियमानुसार नियुक्त कार्मिकों के सापेक्ष ही किया जाय। यदि संस्था के अन्तर्गत स्वीकृत ढ़ांचे के अतिरिक्त, कार्मिक किसी भी माध्यम से योजित हों अथवा नियोजित किये जाने की आवश्यकता हो तो उन कार्मिकों के सम्बन्ध में विभिन्न भारित व्ययों का भुगतान संस्था की स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष ही वहन किया जाय। उक्त का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. बी0एम0–8 पर सम्बन्धित मदवार विवरण सहित संकलित मासिक सूचनायें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। माह में किये गये कार्यो का प्रमाण–पत्र/विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवंटित धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो एवं वार्षिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2017 तक करते हुए प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 004 अनुसंधान तथा विकास–07–उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्–00–आयोजनागत के मानक मद, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–अलोटमेन्ट आई0डी0 एवं मदवार आवंटित धनराशि।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्या–410 XXXVIII/16–21/2011तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी देहरादून।
3. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
सयुंक्त सचिव।